महत्वपूर्ण एवं खास

मेधावी रत्न सम्मान समारोह : पहली बार बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट 60 मेधावी छात्रों का होगा सम्मान, कलेक्टर देंगे मोटिवेशनल स्पीच

रायगढ़। स्वराज एक्सप्रेस द्वारा मेघावी रत्न सम्मान समारोह 30 जून को होटल ट्रिनिटी ग्रांड में भव्य प्रस्तुति की जाएगी. रायगढ़ में 10 वीं व 12 वीं बोर्ड परीक्षा में पहली बार उत्कृष्ट 50 मेधावी विद्यार्थियों व विभिन्न विधाओं में 10 प्रतिभाओं का मेधावी रत्न से सम्मानित किया जाएगा.

राइस कार्यक्रम के लिए लिए छात्र-छात्रों के लिए रजिट्रेशन फार्म भरवाए गए थे, जिसकी अंतिम तारीख 27 जून तक कि थी, जिसमें 200 रजिस्ट्रेशन फार्म जमा हो चुके है, भरे गए फार्म की जांच और निर्णय कोर कमिटी द्वारा होगी. सारे दस्तावेज स्वराज एक्सप्रेस के पास सुरक्षित होंगे. रायगढ़ जिले के मेधावी छात्र छात्राओं और युवाओं के रोल मॉडल आईएएस ओपी चौधरी कलेक्टर रायपुर द्वारा विद्यार्थियों व युवाओं को मोटिवेशन और मार्गदर्शन दिया जाएगा.

इलेट्रॉनिक मीडिया द्वारा पहली बार समारोह का आयोजन

शहर के तीन सितारा होटल ट्रिनिटी ग्रांड में 30 जून 2018 को रायगढ़ जिले में पहली बार इलेट्रॉनिक मीडिया के तरफ से मेधावी रत्न सम्मान समारोह का आयोजन होने जा रहा है जिसमें उन 50 प्रतिभावान छात्र-छात्राओं का मेधावी रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा. जिन्होंने वर्ष 2017-2018 के 10 वीं व 12 वीं के बोर्ड परीक्षा में 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल कर रायगढ़ जिले का नाम रौशन किया है. कक्षा 10 वीं में 90 प्रतिशत से अधिक उत्कृष्ठ अंक हासिल करने वाले 25 मेघावी एवं 12 वीं में 90 प्रतिशत से अधिक उत्कृष्ठ अंक हासिल करने वाले 25 मेघावी विद्यार्थियों को मेघावी रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा.

उत्कृष्ठ प्रदर्शन वाले 10 प्रतिभाओं का सम्मान

इसके साथ ही विभिन्न विधाओं में जिले में उत्कृष्ठ प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले 10 प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा. प्रतिभाओं का चयन रजिस्ट्रेशन के आधार पर होगा रजिस्ट्रेशन 28 जून 2018 तक होंगे. मेघावी रत्न सम्मान समारोह की मुख्य अतिथि मती शम्मी आबिदी कलेक्टर रायगढ़, विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार एवं शैलेस पांडे और जाने माने प्रसिद्ध समाज सेवी सुनील रामदास होंगे.

कोतरा रोड सड़क चौड़ीकरण पर शासन का रुख साफ नहीं

- सामाजिक न्याय संघ को दिया आवेदन
- अन्त्यावसायी अंतर्गत स्वावलंबन योजना के तहत प्रदान की गई दुकान सम्बंधी मामला
- कोतरा रोड सड़क चौड़ीकरण व्यवस्थापन एवं मुआवजा सम्बंधी योजना पर अमल नहीं
- माननीय उच्च-न्यायालय के आदेश का परिपालन भी नहीं
- रोजी-रोटी की समस्या सम्बंधी शिकायत

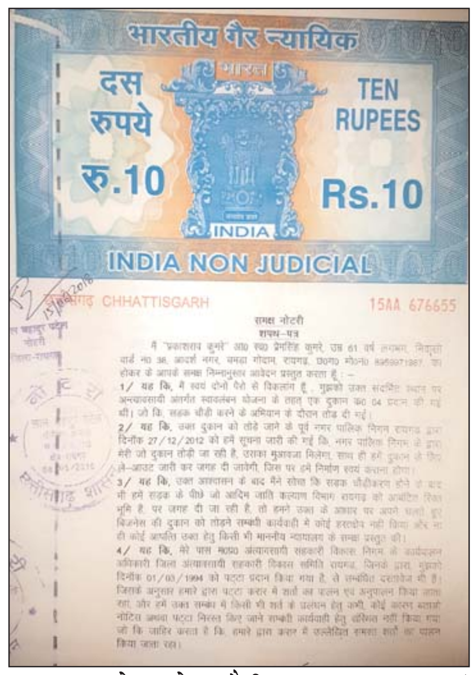
भारतीय गैर न्यायिक
दस रुपये रु.10
TEN RUPEES Rs.10
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
CHHATTISGARH

प्रकाश राव
पीड़ित

राधेश्याम यादव
गवाह-1

नितिन रामटेके
गवाह-2

रायगढ़। कोतरा रोड चौड़ीकरण व्यवस्थापन एवं मुआवजा सम्बंधी मामला सामाजिक न्याय संघ के पास प्रस्तुत हुआ है। प्रकाशराव कुमरे आ.स्व. प्रेमसिंह कुमरे, उम्र 61 वर्ष लगभग, निवासी वार्ड नं. 38 आदर्श नगर, चमड़ा गोदाम, रायगढ़, छग ने सामाजिक न्याय संघ के समक्ष अपने प्रस्तुत आवेदन में कहा कि, दिनांक 3/02/2016 को रिट पिटिशन क्र. 2187/2015 में प्रकाश राव कुमरे एवं अन्य 1 वि. मुनिस्पल कॉरपोरेशन, रायगढ़ एवं अन्य 02 में जारी किए गए निर्देश का पालन भी शासन के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिससे रोजी-रोटी की समस्या हो रही है। कोतरा रोड चौड़ीकरण, व्यवस्थापन आज दिनांक तक नहीं हुआ है, ना ही मुआवजा मिला है।

अपने आवेदन में कहा कि, मैं स्वयं दोनों पैरो से विकलांग हूं, मुझको उक्त संदर्भित स्थान पर अन्त्यावसायी अंतर्गत स्वावलंबन योजना के तहत एक दुकान क्र. 04 प्रदान की गई थीं। जो कि, सड़क चौड़ी करने के अभियान के दौरान तोड़ दी गई। उक्त दुकान को तोड़े जाने के पूर्व नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा दिनांक 27/12/2012 को हमें सूचना जारी की गई कि, नगर पालिक निगम के द्वारा मेरी जो दुकान तोड़ी जा रही है, उसका मुआवजा मिलेगा, साथ ही हमें दुकान के लिए ले-आउट जारी कर जगह दी जावेगी, जिस पर हमें निर्माण स्वयं कराना होगा। उक्त आश्वासन के बाद मैंने सोचा कि सड़क चौड़ीकरण होने के बाद भी हमें सड़क के पीछे जो आदिम जाति कल्याण विभाग रायगढ़ को आबंटित रिक्त भूमि है, पर जगह दी जा रही है, तो हमने उक्त के आधार पर अपने चलते हुए बिजनेस की दुकान को तोड़ने सम्बंधी कार्यवाही में कोई हस्तक्षेप नहीं किया और ना ही कोई आपत्ति उक्त हेतु किसी भी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। मेरे पास म0प्र0 अंत्यावसायी सहकारी विकास निगम के कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति रायगढ़, जिनके द्वारा, मुझको दिनॉक 01/03/1994 को पट्टा प्रदान किया गया है, से सम्बंधित दस्तावेज भी हैं। जिसके अनुसार हमारे द्वारा पट्टा करार में शर्तो का पालन एवं अनुपालन किया जाता रहा, और हमें उक्त सम्बंध में किसी भी शर्त के उलंघन हेतु कभी, कोई कारण बताओ नोटिस अथवा पट्टा निरस्त किए जाने सम्बंधी कार्यवाही हेतु संस्थित नहीं किया गया जो कि जाहिर करता है कि, हमारे द्वारा करार में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन किया जाता रहा।

कहा कि, मेरे साथ उक्त सम्बंध में अन्याय हुआ है और अब मैं भी वृद्ध हो चुका हूं, दोनों पैरों से विकलांग हूं, अस्वस्थ रहता हूं इसलिए मैं बेहद परेशान हूं और मानसिक एवं आर्थिक समस्या से जूझ रहा हूं। अतः न्यायोचित कार्यवाही कराए जाने हेतु यह आवेदन आपके समक्ष सामाजिक न्याय संघ में प्रस्तुत है।

कहा कि, बेहद परेशान होने के बाद, मेरे द्वारा एक पिटिशन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थीं। जिसपर मेरे पक्ष में फैसला आया, लेकिन आज पर्यंत कोई कार्यवाही नहीं हुई, जो कि मेरे मानसिक अवसाद को बेहद बढा रहा है। माननीय उच्च-न्यायालय के द्वारा दिनांक 03/02/2016 को रिट पिटिशन क्र. 2187/2015 में कहा है कि

- At this stage, this petition is finally disposed off with a direction to Nazul Officer, Raigarh to consider petitioners application for allotment of land in accordance with government scheme and existing rules and regulations with regard of nazul land.This decision should be taken within a period of four months from the date of receipt of a copy of this order -जिससे स्पष्ट है कि मुझे भी मेरे एवं परिवार के जीवन-यापन के लिए नजूल की जमीन दी जा सकती है, जो कि अभी तक नहीं किया गया, जो कि मेरे लिए बेहद मानसिक कष्ट बना रहा है, जिसपर तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए।

सामाजिक न्याय संघ ने उक्त प्रकरण का संज्ञान लेकर उसे राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, सचिव, डिपार्टमेंट ऑफ अरबन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रुरल डेव्लपमेंट, मंत्रालय, कमिश्नर, महोदय, बिलासपुर मंडल, कलेक्टर रायगढ़, नजूल अधिकारी, आयुक्त महोदय, महापौर महोदय, सलीम नियारिया, सभापति, नगर पालिक निगम, रायगढ़, को भेजा है, जिस पर तत्काल कार्यवाही किए जाने की आशा व्यक्त की है।

शिक्षा गुणवत्ता अभियान में रायगढ़ जिला प्रथम

रायगढ़। डॉ .ए. पी. जे. अब्दुल कलाम शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत कलेक्टर श्रीमती शम्मी आबिदी के मार्गदर्शन में तृतीय वर्ष 2017-18 में जिले के 2875 शालाओं का सामाजिक अंकेक्षण 5 से 15 जुलाई 2017 तक किया गया जिसमें 695 शालाओं को फोकस शाला के रूप में राज्य द्वारा चिन्हांकित किया गया था। जिसमें राज्य, जिला एवं विकासखण्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा बच्चों के शैक्षिक स्तर का आंकलन कक्षावार एवं विषयवार किया गया। नामित अधिकारियों द्वारा किए गए बच्चों के शैक्षिक की जानकारी की प्रवृष्टि ऑनलाईन की गई। उक्त जानकारी के विश्लेषण पश्चात रायगढ़ जिला 77.75 अंक प्राप्त करते हुए पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, तमनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग. संपर्क करें मो.नं. 9039961090

मकान निर्माण में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध शिकायत

कार्यवाही हेतु सामाजिक न्याय संघ को दिया आवेदन

मोंगरा देवांगन
पीड़ित

जानकी सिदार
गवाह-1

संजय राठौर
गवाह-2

रायगढ़। स्थानीय कोतरा रोड में रहने वाली मोगरा देवांगन ने सामाजिक न्याय संघ के समक्ष पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि मैं उक्त पते में अपने माता-पिता के साथ रहती हूं, और सब्जी बेचने की दुकान से अपना और अपने परिवार को भरण-पोषण करती हूं। कहा कि, मेरा तलाक हो चुका है, और मैंने अपने माता-पिता की मदद से पाई-पाई जोड़कर एक जमीन कोतरा रोड, सावित्री नगर, मोदी पारा में खरीदी है।

अपनी परेशानी व्यक्त करते हुए पीड़िता ने कहा कि उक्त जमीन पर मैं अपने लिए छोटा सा एक मकान बनवाना चाह रही थीं, जिसके लिए मैंने मकान से सम्बंधित सामान जैसे रेती, गिट्टी, सीमेंट को जोड़े जाने का कार्य प्रारंभ किया है और, उसे जहां मैं मकान बनवाना चाह रही थी, वहां डलवाने के लिए व्यवस्था प्रारंभ की। कहा कि, जब मैंने उक्त सामान को मकान निर्माण स्थल पर भेजा तब, वहां रहने वाले रमेश ने मटेरियल डालने पर आपत्ति करना शुरु कर दी, जिस ट्रैक्टर में सामान लाया जा रहा था, उसे धमका कर भगा दिया और मकान निर्माण में बाधा उत्पन्न करने लगा। मोंगरा ने बताया कि, रमेश ने नगर-पालिक निगम द्वारा घोषित रोड के उपर मकान बनाया और मुझे अन्यथा प्रताड़ित कर रहा है।

भारतीय गैर न्यायिक
दस रुपये रु.10
TEN RUPEES Rs.10
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
CHHATTISGARH
15AA 874151
16 JUN 2018

रमेश शर्मा, अपनी पत्नी के साथ मिलकर के मुझे मकान नहीं बनवाने दे रहा है और ना ही मुझे दरवाजा आदि लगवाने दे रहा है। कहा कि, रमेश की पत्नी भी, मेरे मकान का काम करने वाले मिस्त्री, लेबर को धमकाती रहती है, काम करने में बाधा उत्पन्न करती रहती है, जिससे मैं बेहद प्रताड़ित हो रही हूं और मेरे मकान का काम भी प्रभावित हो रहा है।

अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए, मोंगरा ने कहा कि, मैं रमेश, उसकी पत्नी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही चाहती हूँ। ये लोग आस-पास में रहने वाले छोटे तपके के व्यक्तियों को मांस-शराब आदि प्रदान करके रात में मेरे मकान की चौहद्दी के अंदर प्रवेश कराते हैं, गंदगी करातें हैं, और गन्दी गाली-गलौज कराते हैं, ताकि मैं अपनी जमीन को छोड़ दूं और मकान नहीं बनवा सकू, जो कि बेहद आपत्तिजनक है, और जिसपर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

मोंगरा ने अपने लिखित आवेदन में कहा कि, मैं पीड़ित हूं और बहुत परेशान हूं मैं यह आवेदन मय दस्तावेज आपके समक्ष सामाजिक न्याय संघ के माध्यम से मय शपथ-पत्र प्रस्तुत कर रही हूँ। इस पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही कराया जाकर न्याय दिलाए जाने की कृपा की जावे।

सामाजिक न्याय संघ ने उक्त प्रकरण का संज्ञान लेकर उसे श्रीमान् राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक, पुलिसमहानिरीक्षक, कलेक्टर रायगढ़, एसपी रायगढ़, आयुक्त महोदय, महापौर महोदय, सलीम नियारिया सभापति महोदय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ के साथ, थाना प्रभारी, थाना कोतवाली, रायगढ़, को भेजा है, ताकि न्यायोचित जॉच बाद तत्काल प्रभाव से न्यायोचित कार्यवाही कराए जाने की इच्छा जताई है।

केन्द्रीय इस्पात राज्यमंत्री साय ने किया लैपटाप का वितरण

रायगढ़। केन्द्रीय इस्पात राज्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना के तहत वर्ष 2017-18 के लिए आज सृजन सभाकक्ष में स्व.श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र के छात्र-छात्राओं को लैपटाप वितरण किया। इस अवसर पर संसदीय सचिव श्रीमती सुनीति सत्यानंद राठिया, विधायक श्रीमती केराबाई मनहर, जिला पंचायत अध्यक्ष पुरूषोत्तम अजेश अग्रवाल, कलेक्टर श्रीमती शम्मी आबिदी, पूर्व विधायक ओमप्रकाश राठिया, कमल गर्ग सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।